

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—: अधिसूचना :—

संचिका संख्या—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023

पटना, दिनांक:—

श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक 15.02.2026 से 08.03.2026 तक कुल 22 (बाईस) दिनों का उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरान्त श्रीमती अनिशा के अवकाश लेखा में $(83-22=61)$ एकसठ दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० /—

(नीतू सिंह)

सरकार के अवर सचिव,

वाणिज्य-कर विभाग,

बिहार, पटना।

ज्ञापक:—6 / वि०पत्रा०—24—17 / 2023 1516

पटना, दिनांक:— 05/05/26

प्रतिलिपि :— वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, हाजीपुर/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), सारण प्रमंडल, छपरा/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर/राज्य-कर संयुक्त आयुक्त-सह-नोडल पदाधिकारी, एच० आर० एम० एस०, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/राज्य-कर उपायुक्त सह-एच०आर० मैनेजर (स्थापना), वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्रीमती अनिशा, राज्य-कर सहायक आयुक्त (63वीं बैच), हाजीपुर अंचल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

नीतू
04-05-26

सरकार के अवर सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग
बिहार, पटना।